इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना–14

(बिहार सरकार का एक स्वायतशासी संस्थान)

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

आदेश

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि संस्थान के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कतिपय आरोपों से संबंधित परिवाद पत्र उच्च स्तर पर सीधे समर्पित किया जा रहा है जो नियमानुकुल नही है। साथ ही उक्त परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों से संबंधित कोई भी साक्ष्य अभिलेख संलग्न नहीं किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा छद्म/वेनामी नाम से भी आरोप पत्र दिये जा रहे हैं जो उचित नहीं है एवं सरकारी नियमों के प्रतिकुल है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि परिवाद पत्र के साथ परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों के समर्थन में अनिवार्य रूप से साक्ष्य अभिलेख संलग्न कर उचित माध्यम के द्वारा संस्थान में गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष समर्पित किया जाए अन्यथा ऐसे परिवाद पत्रों पर कोई कारवाई नहीं की जायेगी एवं उसे संचिकास्त कर दिया जायेगा। कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन दृढ़ता से किया जाए। भविष्य में अगर उपरोक्त आदेश का अनुपालन सम्बंधित पदाधिकारी /कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

कृपया इसे गंभीरता से लिया जाए।

ह0/–
उप–निदेशक (प्रशा0),
इं0 गाँ0 आ0 सं0, पटना

ज्ञापांकः– 873/प्रशा   दिनांकः– 16/02/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग/उप–निदेशक (प्रशा0)/संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)/ संकायाध्यक्ष (परीक्षा)/ सभी विभागाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक- I&II/मुख्य प्रशासी पदा0/ प्रशासी पदा0- I&II/ वित्त एवं मुख्य लेखा पदा0/भंडार शाखा/ सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– S.E. (BME) को संस्थान के website पर upload हेतु।

उप–निदेशक (प्रशा0),
इं0 गाँ0 आ0 सं0, पटना